पृ.क्र.	
पिछला	अगला

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/निस/ 1541 भोपाल, दि0 4.12.2000

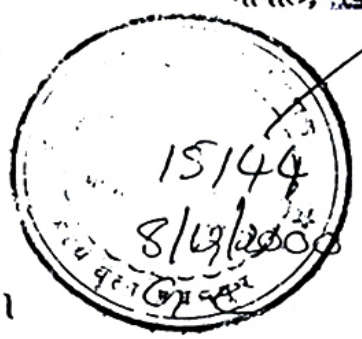

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
समस्त वनमण्डलाधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः आग्नेय अस्त्रों का उपयोग ।

विगत दो माह में भोपाल वृत्त में दो अलग-अलग घटनाओं में दो ग्रामीणों की गोली से मृत्यु हुई है । इनमें से एक घटना में गोली विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक द्वारा तथा दूसरी घटना में गोली वनकर्मी द्वारा चलाई गई है । दूसरी घटना में बंदूक वनकर्मी की निजी बंदूक थी ।

वनों की सुरक्षा करना वनकर्मियों का पावन दायित्व है और आत्मरक्षा का अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है किंतु बंदूक का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में आत्मरक्षार्थ ही किया जाना चाहिये, उत्तेजना, आवेश तथा तैस में आकर नहीं ।

इस संबंध में निम्न निर्देशों का पालन किया जाय :-

1. आग्नेय अस्त्रों के संबंध में इस कार्यालय के ज्ञाप क्रमांक 1048 दिनांक 26.10.99 में दिये गये निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाय ।
2. जहां भी अतिक्रमण हटाने अथवा अवैध उत्खनन रोकने में स्थानीय लोगों से टकराव की संभावना हो, वनकर्मी पुलिस तथा प्रशासन की सहायता के बिना न जायं । ऐसे प्रकरणों में जिला टास्क फोर्स की बैठक ली जाय और इन प्रकरणों में किस प्रकार कार्रवाही की जानी है इस पर विचार किया जाकर टास्क फोर्स की बैठक में निर्णय लिया जाय और उसके अनुसार ही कार्रवाही की जाय ।

३. [redacted] का उपयोग केवल आत्मरक्षार्थ ही किया जाय । यदि कोई वन अपराधी जंगल में लकड़ी काटता पाया जाता है अथवा अवैध परिवहन कर रहा है तो उसे ऊंची आवाज में समर्पण हेतु कहा जाय और यदि वह भागता है तो बंदूक अथवा अन्य बल प्रयोग न किया जाय ।

४. मुलजिमों की गिरफ्तारी के प्रकरण में गिरफ्तारी पुलिस के माध्यम से की जाय ।

५. वनकर्मियों को अस्त्र अनुशासन का प्रशिक्षण पुलिस लाईन में जिला पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर दिलाया जाय ।

६. यह ध्यान रखा जाय कि वनों के अंतराल में रहनेवाले लोग गरीब आदिवासी हैं अतः छोटे-मोटे वन अपराधों में बंदूक जैसे बल का प्रयोग करना न तो अपेक्षित है और न ही यह मान्य है ।

७. वनों की सुरक्षा का सबसे कारगर साधन स्थानीय लोगों का सहयोग है अतः यदि वनकर्मी सयुक्त वन प्रबध के मंत्र को साधे तो उनका कार्य सरल, सहज और ज्यादा प्रभावी तरीके से सम्पन्न होगा । इसके विपरीत बल प्रयोग से थोड़ी बहुत तत्कालिक सफलता मिल सकती है किंतु ऐसी सफलता टिकाऊ नहीं हो सकती अतः वनकर्मियों को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हुए स्थानीय लोगों के प्रति सदभाव तथा संवेदनशील बनना चाहिए ।

जहां गंभीर वन अपराध होने की सूचना हो वहां पर्याप्त पुलिस एवं प्रशासन बल के साथ ही जाया जाय ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों से समस्त अधीनस्थों को अवगत करायें तथा इस संबंध में एक कार्यशाला/बैठक आयोजित कर अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को कड़ी हिदायतें दें ताकि गोली चालन की घटना घटित होने की नौबत न आए।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल